प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
लखनऊ।

पत्रांक : मु0चि0अ0 / कोविड–19 / 2020 / कैम्प/1031-3 दिनांक : 27/7/2020

**विषय :कोविड–19 धनात्मक रोगी पाये जाने के उपरान्त संस्थान को 48 घण्छे बन्द करके सेनीटाइजेशन कराने एवं सम्पर्क में आये हुये व्यक्तियो की कान्टैक्ट सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके संस्थान में 1 व्यक्ति (श्री मोहम्मद उसमान सिद्दीकी) में कोविड–19 की पुष्टि हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि यदि श्री मोहम्मद उसमान सिद्दीकी को कोविड–19 की पुष्टि हुई है पॉच दिनो तक कार्यालय के जिस तल/स्थान पर उपस्थित होकर कार्य किया गया हो, तो भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा–निर्देश के क्रम में उक्त परिसर को 48 घण्टे बन्द रखने एवं सेनीटाइजेशन का कार्य कराने का कष्ट करें।

साथ ही उनके सम्पर्क में जो भी अधिकारी/ कर्मचारी आये है, उनके पूर्ण पता एवं मोबाइल नम्बर की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। ताकि उनकी जॉच करायी जा सकें तथा सम्बन्धित अधिकारियो/कर्मचारियो को होम क्वारंटीन रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

पत्रांक : मु0चि0अ0 / कोविड–19 / 2020 / कैम्प/1031-3 तद्दिनांक

**प्रतिलिपि–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
2. जिला अधिकारी, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित सम्बन्धित संस्थान में सेनीटाइजेशन करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ